(7) K.K. [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP74944102513857W

e-Stamp 16530

RITU TIWARI
ACC ID: UP14138704
MATHURA (U.P.)

Certificate No.	:	IN-UP74944102513857W
Certificate Issued Date	:	10-Jun-2024 01:48 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14138704/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1413870445628732413781W
Purchased by	:	KRISHNA KUMAR CHOBIYA SON OF RAMNARESH GAUTAM
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	MAUJA JAIT TEHSIL AND DISTT MATHURA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	AJAY GAUR SON OF BHAGWAT SWAROOP
Second Party	:	KRISHNA KUMAR CHOBIYA SON OF RAMNARESH GAUTAM
Stamp Duty Paid By	:	KRISHNA KUMAR CHOBIYA SON OF RAMNARESH GAUTAM
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,64,300 (Two Lakh Sixty Four Thousand Three Hundred only)

सत्यमेव जयते

IN-UP74944102513857W

Please write or type below this line

अजय गौड

0003715283

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

KRISHNA KUMAR CHOBIYA SON OF RAMNARESH GAUTAM

|| जय भोले की ||

लेखपत्र/विक्रयपत्र आराजी का संक्षिप्त विवरण :–

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. स्थित : मौजा जैंत तहसील व जिला मथुरा
3. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : रकवा 0.32825 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश
4. सड़क की स्थिति : मुख्य सड़क, खरंजा व आबादी से दूर स्थित है।
5. प्रतिफल की धनराशि : 37,75,000/–रू
6. मालियत : 37,75,000/–रु.
7. कुल देय स्टाम्प : 2,64,300/–रु. का ई–स्टाम्प जो प्रलेख के साथ सलंग्न है।
8. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट –1,15,00,000/–रुपया प्रति हैक्टैयर, जो पेज नं. 32 बी कोड 1016पर दर्ज है।

9.कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक प्रथम मथुरा। आराजी विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है।

आराजी सीमाऐं– पूरब–आराजी किरोरी, पश्चिम–आराजी अन्य, उत्तर–आराजी प्रदीप दक्षिण–आराजी कन्हैया ,राजेश

प्रथम पक्ष की संख्या : (1)

विक्रेता का विवरण

अजय गौड पुत्र स्व0 श्री भगवत स्वरूप निवासी ग्राम छटीकरा तह0 व जिला मथुरा।मो–9719406307 Pan-BFKPG9120D

अजय गौड

द्वितीय पक्ष की संख्या : (1)
क्रेता का विवरण
कृष्ण कुमार चौबिया पुत्र श्री रामनरेश गौतम निवासी–म0नं0 40, सैक्टर 4, श्रीराधापुरम एस्टेट गनेशरा तहसील व जिला मथुरा
मो0–9897516341 Pan-AIKPC0965C

जोकि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1429–1434 के अनुसार खाता सं. 00151 खसरा नं. 372 रकवा 2.6270 हैक्टेयर लगानी कागजातनुसार स्थित मौजा जैंत तहसील व जिला मथुरा में प्रथम पक्ष का हिस्सा रकवा 0.32825 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश है, जिसको प्रथम पक्ष ने एक किता बैनामा इकरारी पंकज गौतम पुत्र श्री रामदेव गौतम उपनिबन्धक कार्यालय मथुरा मे दिनांक 29.03.2022 बही नंबर 01 जिल्द 17311 सफा 75–88 प्रलेख संख्या 8213 दिनांक 29.04.2022 ई0 पर खरीद किया ,मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की आराजी भूमिधरी है। प्रथमपक्ष विक्रेता का ही कब्जा है तथा प्रथम पक्ष विक्रेता का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कागजात खसरा खतौनी में दर्ज हैं। सिवाय प्रथम पक्ष विक्रेता के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं है और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रूकावट डाल सके और न ही प्रथम पक्ष ने उक्त आराजी की बाबत कोई अन्य इकरारनामा किसी के साथ तय किया है, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे व जमानत आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष विक्रेता की ही आराजी भूमिधरी है। विक्रयशुदा भूमि किसी भी

अपनम गौड़

ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आबंटन की भूमि नहीं है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काश्त से भी अच्छी आय नहीं हो पाती है और विक्रेता प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी उक्त आराजी को विक्रय कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को कहीं और निवेश कर देने से प्रथमपक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जावेगी और इस समय द्वितीयपक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है। उक्त आराजी मे से विक्रय हिस्सा रकवा 0.32825 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश जिसको संलग्न नक्शा मानचित्र में रंग लाल से दर्शाया गया है, को समस्त हकूक व अधिकारो सहित जो प्रथम पक्ष विक्रेता को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोडे किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित वखुशी बराजी अपने बऐवज 37,75,000/–रु. सेंतीस लाख पिचहत्तर हजार रूपये में बदस्त **कृष्ण कुमार चौबिया पुत्र श्री** रामनरेश गौतम निवासी–म0नं0 40, सैक्टर 4,श्रीराधापुरम एस्टेट गनेशरा तहसील व जिला मथुरा खरीदार द्वितीयपक्ष के हक में बेच दी आराजी रकवा 0.32825 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश पर खरीदार द्वितीयपक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया तथा कीमत का रूपया प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से निम्न भॉति प्राप्त कर लिया तथा द्वितीयपक्ष बेची गयी उक्त आराजी पर आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गया। वह समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथमपक्ष के स्थान पर दर्ज करावे, प्रथम पक्ष रजामंदी देता है। तथा खतौनी व खसरा की नकल व शपथपत्र साथ में सलंग्न है। अब बेची गयी उक्त आराजी से

आवेदन सं०: 202400764036962

विक्रय पत्र

बही स०: 1	रजिस्ट्रेशन स०: 16538	वर्ष: 2024

प्रतिफल- 3775000 स्टाम्प शुल्क- 264300 बाजारी मूल्य - 3775000 पंजीकरण शुल्क - 37750 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 37810

श्री अजय गौड़ ,
पुत्र श्री स्व० भगवत स्वरूप
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ग्राम छटीकरा तहसील व् जिला मथुरा

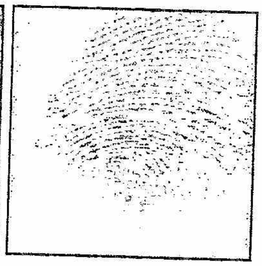

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 11/06/2024 एवं 04:06:25 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमर सिंह प्रभारी
उप निबंधक :सदर द्वितीय
मथुरा
11/06/2024

संदीप कुमार सक्सैना
निबंधक लिपिक
11/06/2024

प्रिंट करें

प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। खरीदार द्वितीयपक्ष उक्त आराजी को चाहें जिस प्रकार से प्रयोग करे और जो चाहे सो करे, इसमें प्रथम पक्ष व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। यदि बेची गयी आराजी का जुज या कुल हिस्सा खरीदार से निकल जावे, या उसकी बाबत कहीं रहन व गिरवी आदि निकले या खरीदार द्वितीयपक्ष को उसकी बाबत कुछ खर्च करना पडे या देना पडे, तो उस सबकी बिक्रेता प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा खरीदार अपना मूल्य का कुल रूपया व समस्त हर्जा–खर्चा बिक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसान से वसूल करने के अधिकारी होंगे। उक्त आराजी में कोई पेड बोरिंग कुँआ, ट्यूब्बैल आदि नहीं है। बेची गयी आराजी के 200 मीटर त्रिज्या में आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक गतिविधियाँ विद्यमान नहीं है तथा खेती हो रही है। विकेता व केता अनुसूचित जाति के सदस्य नही हैं मौके पर खेती हो रही है। अतः यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीयपक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से पूर्ण स्वस्थ्यचित्त होशो–हवास में बिना किसी दबाब के स्वेच्छापूर्वक खूब सोच समझकर लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। उपरोक्त प्रलेख के सभी पक्षकारगण भारतीय नागरिक हैं।

<u>कीमत के कुल रूपयो का विवरण–</u>

12,55,000/–रूपये बजरिये चैक संख्या–079652 दिनांक 10.06.2024
12,55,000/–रूपये बजरिये चैक संख्या–079653 दिनांक 10.06.2024
12,55,000/–रूपये बजरिये चैक संख्या–079654 दिनांक 10.06.2024
उक्त सभी चैंक पंजाब नेशनल बैंक गोवर्धन रोड शाखा मथुरा के है
10,000/– रूपये नगद वक्त बैनामा प्राप्त किये।

आवेदन सं०: 202400764036962

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 16538 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री अजय गौड़, पुत्र श्री स्व० भगवत स्वरूप

निवासी: ग्राम छटीकरा तहसील व् जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

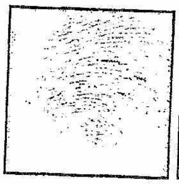

क्रेता: 1

श्री कृष्ण कुमार चौबिया, पुत्र श्री रामनरेश गौतम

निवासी: म०न० 40 सेक्टर-4 श्रीराधापुरम एस्टेट गनेशरा तहसील व् जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

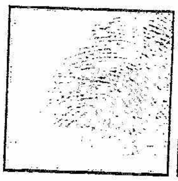

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सौरभ गौतम, पुत्र श्री प्रेमचन्द गौतम

निवासी: जाटौली रथवान भरतपुर राज०

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री अनिल सक्सैना, पुत्र श्री राकेश बिहारी सक्सैना

निवासी: बैरागपुरा मथुरा

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमर सिंह प्रभारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मथुरा
11/06/2024

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमांनुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

संदीप कुमार सक्सैना
निबंधक लिपिक मथुरा
11/06/2024

प्रिंट करें

यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

दिनांक : 10.06.2024
टाईप किया किया : वी0जी0, मथुरा
ड्राफ्ट किया : जितेन्द्र गौतम एडवोकेट, मथुरा।
साक्षी–

1. सौरभ गौतम पुत्र श्री प्रेमचन्द गौतम
निवासी जाटौली रथवान भरतपुर राज0
मो–9610848130

2. अनिल सक्सैना पुत्र श्री राकेश बिहारी सक्सैना
निवासी बैरागपुरा मथुरा
मो–9897010949

आवेदन सं०: 202400764036962

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 13038 के पृष्ठ 57 से 70 तक क्रमांक 16538 पर दिनाँक 11/06/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमर सिंह प्रभारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मथुरा
11/06/2024

नक्शा नजरी बाबू मौजा - जैत

खसरा नं. 372 क्षेत्रफल .0.32825 हे.

ममूर्ति शर्मा

पिता - अजयगौड